निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 627) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–16/2010/1255––श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के पदस्थापन अवधि में प्रमंडलान्तर्गत प्रथम चरण में सम्पादित जमींदारी बाँध के कार्यों की स्थलीय जाँच वाद स।0–7950/08–09 श्री उमाधर प्रसाद सिंह बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के संदर्भ में माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा की गयी। निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निम्न आरोप गठित कर श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1131 दिनांक 07.09.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः–

1. शाहपुर पी0 डब्लू0 डी0 रोड से बरहेता धरनी पट्टी होते हुए थलवारा तक जमींदारी बाँध अन्तर्गत संपादित सात अदद तटबंध में कराये गये कार्यों की मापी की जाँच मापपुस्त में अंकित मापी से की गयी। जाँचोपरान्त सात में से दो बाँधों में भुगतेय मिट्टी की मात्रा में 35.17 प्रतिशत की कमी पायी गयी। साथ ही तटबंध की चौड़ाई एवं स्लोप विशिष्टि के अनुरूप नहीं था। तारालाही लोहसारी से बलुआ नदी तक जमींदारी बाँध के चैनेज 100 मी0 पर प्रावधानित 900 मि0 मी0 व्यास के कलभर्ट के स्थान पर बिना कार्य कराये ही पूर्व से निर्मित 750 मि0 मी0 व्यास के कलभर्ट का भुगतान 900 मि0 मी0 व्यास के रूप में मापपुस्त में दर्ज कर भुगतान किया गया जो सरकारी राशि रू0 1,33,770/– के गबन को प्रमाणित करता है।

2. मब्बी योजना के उत्तरी कोठिया, करकोली, हरिपुर लोधा होते हुए मोहम्मदपुर तक जमींदारी बाँध की स्थलीय जाँच की गयी एवं तटबंध की चौड़ाई एवं साईड स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया। तथा भुगतेय मिट्टी की मात्रा में 37.76 प्रतिशत की कमी पायी गयी अतः अधिकाई भुगतान एवं विशिष्ट के अनुरूप कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी पाये गये हैं।

3. गोपालपुर से बरियौल तक जमींदारी बाँध की स्थलीय जाँच में बाँध की चौड़ाई एवं स्लोप विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया एवं भुगतेय मिट्टी की मात्रा में 51.37 प्रतिशत की कमी पायी गयी। इस प्रकार विशिष्टि के अनुरूप कार्य न कराने एवं मिट्टी की मात्रा में अधिकाई भुगतान के लिए आप दोषी पाये गये हैं।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में तारालाही लोहसारी से बसुआ नदी तक जमींदारी बाँध के कि0 मी0 0.90 पर प्रस्तावित 900 मि0 मी0 व्यास का ह्यूम पाईप कलभर्ट का बिना निर्माण

कराये ही भुगतान प्राक्कलन के अनुरूप कर कुल 1,33,770/– (एक लाख तैंतीस हजार सात सौ सत्तर रूपये) का गबन के उद्धेश्य से किया गया अनियमितता का आरोप प्रमाणित पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए दण्ड संसूचित से से पूर्व विभागीय पत्रांक 751 दिनांक 19.06.14 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध बिना हयूम पाईप कलभर्ट का निर्माण कराये ही 1,33,770/– (एक लाख तैंतीस हजार सात सौ सत्तर रूपये) के गबन में सहयोग करने का प्रमाणित आरोपों के लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना सं0 1534 दिनांक 22.10.14 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

1. दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी प्रस्तुत किया गया है जिसका मुख्य अंश निम्न हैः–

i. शाहपुर P. W. D. Road से बरहेता धरनी पट्टी होते हुए थलवारा जमींदारी बाँध के अन्तर्गत तारालाही से बसुआ नदी तक जमींदारी बाँध के 0.90 कि0 मी0 पर प्रस्तावित 900 एम0 एम0 हयूम पाईप कलभर्ट के बदले 750 एम0 एम0 का हयूम पाईप का निर्माण 900 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप तत्काल बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण ही विशिष्टि परिवर्तन करते हुए कार्य कराया गया है।

ii. F_2 एकरारनामा के क्लौज 11 के अनुसार सामान्य विशिष्टि परिवर्तन के लिए कार्यपालक अभियंता सक्षम पदाधिकारी हैं इसी पृष्ठभूमि में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा द्वारा दो रो 900 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप कलभर्ट के स्थान पर तीन रो में 750 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप कलभर्ट निर्माण की अनुमति संवेदक को दी गयी थी। तत्पश्चात तीन रो में 750 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप का निर्माण कार्य विशिष्टि के अनुरूप सम्पन्न कराया गया है।

iii. लोक निर्माण संहिता के कंडिका 49 के प्रावधान के आलोक में सहायक अभियंता अपने कार्यक्षेत्र के कार्य/लेखा प्रबंधन के लिए कार्यपालक अभियंता के प्रति जिम्मेवार होते हैं।

iv. स्वीकृत प्राक्कलन में उपबंधित 900 एम0 एम0 व्यास वाले दो रो हयूम पाईप कलभर्ट की राशि 1,33,770/– रूपये थी। जबकि तीन रो में 750 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप कलभर्ट की प्राक्कलित राशि उस समय के अद्यतन दर पर 1,52,446/– रूपये थी। ऐसी स्थिति में F_2 एकरारनामा के क्लौज 11 के आधार पर सक्षम पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये उक्त विशिष्टि परिवर्तन के आलोक में संवेदक को भुगतेय राशि 1,52,446/– रूपये होती थी।

v. लेकिन संवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन्हें दो रो 900 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप कलभर्ट की स्वीकृति प्राक्कलित राशि 1,33,770/– रूपये का भुगतान किया जाय। क्योंकि नियमानुसार 1,52,446/– रूपये के भुगतान के लिए उन्हें विशिष्टि परिवर्तन के अनुरूप 750 एम0 एम0 तीन रो हयूम पाईप कलभर्ट की दर की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के स्तर पर होने में कुछ विलंब हो सकता था। तदनुरूप कुल 1,33,770/– रूपये का भुगतान किया गया।

vi. संवेदक के उक्त अनुरोध एवं सरकार को (1,52,446 – 1,33,770) = 18,676 रूपये की बचत के पृष्ठभूमि में कार्यपालक अभियंता के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी। जिसके फलस्वरूप कनीय अभियंता द्वारा लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 243 के अनुसार मापपुस्त में दो रो 900 एम0 एम0 वाले हयूम पाईप कलभर्ट की मापी अंकित की गयी। मेरे द्वारा लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 244 एवं 245 (i) के प्रावधान के अनुरूप हस्ताक्षर कर मापपुस्त/विपत्र प्रमंडल में समर्पित किये गये थे। जिसका भुगतान प्रमंडल स्तर पर जाँचोपरान्त की गयी थी।

श्री सिंह से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। पुनर्विलोकन अर्जी में आरोप से संदर्भित श्री सिंह द्वारा उद्धृत है कि F_2 एकरारनामा के क्लौज 11 के तहत कार्यपालक अभियंता के आदेशानुसार 900 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप (लागत राशि – 1,33,770/–) तत्काल बाजार में उपलब्ध नहीं रहने के कारण हयूम पाईप कलभर्ट के विशिष्टि में परिवर्तन करते हुए 750 एम0 एम0 व्यास के प्रावधानिक दो रो के बदले तीन रो में हयूम पाईप कलभर्ट का निर्माण कराया गया है। विशिष्टि परिवर्तन के अनुरूप 750 एम0 एम0 व्यास के हयूम पाईप कलभर्ट (लागत राशि – 1,52,446/–) की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के स्तर से विलम्ब होने की संभावना के मद्धेनजर संवेदक के अनुरोध पर एवं विभाग को बचत होने के दृष्टिकोण से प्राक्कलन में प्रावधानिक 900 एम0 एम0 व्यास वाले हयूम पाईप कलभर्ट का भुगतान किया गया। फलस्वरूप सरकार को कुल (1,52,446 – 1,33,770) = 18,676/– रूपये का बचत हुआ। उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में कोई साक्ष्य आरोपी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव साक्ष्य विहीन बचाव बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका 294 में स्पष्ट रूप से डिजाईन के फेरबदल के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता की शक्तियों का उल्लेख है ''निर्माण निष्पादन के दौरान उसके संरचनात्मक ब्योरों में आवश्यकता पड़ने पर नगण्य फेरबदल मंजूर करना और सामान्यतः अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को देना है''। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संरचना के डिजाईन में फेरबदल करने के लिए कार्यपालक अभियंता सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं। यहाँ तक कि आरोपी श्री सिंह द्वारा संरचना के फेरबदल करने से संदर्भित कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव

आरोपी का उपर्युक्त कथन कि कार्यपालक अभियंता के आदेशानुसार कलभर्ट के विशिष्टि में परिवर्तन किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में वही तथ्य दिया गया है जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष एवं द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में पूर्व में दिया गया है। जिसकी समीक्षा पूर्व में की गयी है एवं समीक्षोपरान्त बिना हयूम पाईप कलभर्ट के निर्माण कराये ही अनियमित भुगतान करने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

इस प्रकार समीक्षा में उद्धृत उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिना हयूम पाईप कलभर्ट के निर्माण कार्य कराये ही अनियमित भुगतान करने के प्रमाणित आरोपों के लिए पूर्व के अधिरोपित दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

तदालोक में श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए इन्हें पूर्व के अधिरोपित दण्ड को बरकरार रखा जाता है।

उक्त आदेश श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 627-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in